न्यायालय सं0–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0–1300/2024

चन्द्रा कुमारी, पीएनओ नं0–102500033, आयु लगभग 51 वर्ष, पत्नी श्री मंगल दत्त राजवंशी, निवासी–52 *Samoodipur*, बी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, जिला–लखनऊ, उ0प्र0। ---याचिनी

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, उ0प्र0 सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– सेनानायक,
उ0प्र0 विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी, लखनऊ। ---विपक्षीगण

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याचिनी व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 11–11–2020 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा याचिनी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉकित 16–04–2024 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याचिनी व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिनी की नियुक्ति पुलिस विभाग में दिनॉंक 03–11–2010 को आरक्षी के पद पर हुई थी। याचिनी के अनुसार सेनानायक, उ0प्र0वि0परि0सु0वाहिनी, लखनऊ व्दारा उसे दिनॉंक 08–10–2020 को एक कारण बताओ नोटिस (संलग्नक सं0–4) निर्गत की गयी जिसमें यह कथन किया गया कि “जब आप वर्ष–2012 में आरक्षी के पद पर नियुक्त रहे, तब डा0 भीमराम अम्बेडकर विहार, गोमतीनगर स्थित (स्थापित) पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा खन्डित किये जाने

एवं एरियागश्त में तैनात आरक्षी रामबचन राम व्दारा फोन पर सूचना दिये जाने के बाद भी तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा तत्परतापूर्वक अपराधियों को पकड़ने में शिथिलता बरते जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण की प्रारम्भिक/पूरक जाँच क्रमशः श्रीमती सुमन चौधरी, भू0पू0 सहायक सेनानायक/प्रभारी सेनानायक एवं श्री बृजेश सिंह, तत्कालीन सहायक सेनानायक/प्रभारी सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी व्दारा करायी गयी। उक्त जाँच अधिकारियों व्दारा क्रमशः अपनी जाँच आख्या संख्या ज–330/2012/1373 दिनाँक 04–08–2012 एवं संख्या ज–330/2012/70 दिनाँक 16–01–2013 व्दारा प्रस्तुत की गयी। जिसमें अवगत कराया गया है कि "महिला आरक्षी चन्द्रा कुमारी व्दारा अपने बयान में यह अंकित कराया गया कि उसकी ड्यूटी घटना स्थल से मात्र 03–04 मीटर की दूरी पर ऊपर चौकी गेट पर थी। उसे खट–खट की आवाज सुनायी पड़ी तो उसने देखा कि 3–4 लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं तथा उसके व्दारा शोर मचाने एवं जीने से तत्काल नीचे आने की बात अपने कथन मं अंकित करायी गयी है। उक्त महिला आरक्षी का यह कथन असत्य एवं निराधार है क्योंक ड्यूटी चार्ट के अवलोकन एवं पीछे की ड्यूटी से स्पष्ट है कि उक्त ड्यूटी स्थल से विखण्डित मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। यदि वह सतर्क रहती तो ऊपर से कुछ ही सेकण्ड में नीचे उतर कर शोर मचाकर एवं डण्डा फेंककर अराजकतत्वों को भगाने से रोका जा सकता था एवं गिरफ्तारी से सक्रिय योगदान दे सकती थी किन्तु उसके व्दारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। मात्र मूकदर्शक बनी रही। यह कर्तव्य पालन पालन में बरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही की दोषी हैं।' याचिनी व्दारा उक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिनाँकित 15–10–2020 (संलग्नक सं0–5) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके व्दारा वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए आरोप का खण्डन किया गया। परन्तु याचिनी के अनुसार उसके व्दारा दिये गये स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये दण्डाधिकारी व्दारा

आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 11–11–2020 उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया। याचिनी व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील विपक्षी सं0–2 के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनॉकित 16–04–2024 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त उसके व्दारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3– विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रभारी सेनानायक वि0परि0सु0वाहिनी लखनऊ से प्रारम्भिक जॉंच करायी गयी जिन्होंने जॉंचोपरान्त अपनी जॉंच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त प्रारम्भिक जॉंच आख्या में जॉंच अधिकारी व्दारा याचिनी को दोषी माना गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनॉंकित 08–10–2020 निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याचिनी व्दारा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 11–11–2020 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुयी है। विपक्षीगण व्दारा यह भी कथन किया गया कि याचिनी व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी व्दारा विचार करने के उपरान्त अपील निरस्तीकरण आदेश दिनॉंकित 08–02–2021 पारित किया गया है। अतः याचिनी प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4– याचिनी व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण के लिखित–विवेचन के कथनों का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– मेरे व्दारा याचिनी के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– याचिनी के विव्दान अधिवक्ता व्दारा आलोच्य दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में प्रारम्भिक जॉँचकर्ता अधिकारी व्दारा याचिनी को सभावनाओं के आधार पर दोषी माना है, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

7– याचिनी के विव्दान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर मेरे व्दारा विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रारम्भिक जॉँचकर्ता अधिकारी व्दारा दी गयी प्रारम्भिक जॉँच आख्या, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जॉँचकर्ता अधिकारी व्दारा याचिनी के सम्बन्ध में दिये गये निष्कर्ष में यह कथन किया गया है कि *“डियूटी चार्ट के अवलोकन एवं पीछे की डियूटी से स्पष्ट है कि उक्त डियूटी स्थल से विखण्डित मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि वह सतर्क रहती तो ऊपर से कुछ ही सेकण्ड में नीचे उतर करके शोर मचाकर एवं डण्डा फेंककर अराजकतत्वों को भागने से रोका जा सकता था एवं गिरफ्तारी में सक्रिय योगदान दे सकती थी किन्तु उसके व्दारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया।”* जॉँच अधिकारी के उपरोक्त निष्कर्ष से स्वतः स्पष्ट है कि जॉँच अधिकारी व्दारा याचिनी को मात्र कल्पना/सम्भावनाओं के आधार पर दोषी माना है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–*Kuldeep Singh Vs. Commissioner of Police, AIR 1999 SC 677* के वाद में अवधारित सिद्धान्त *"That the employee can not be punished on the basis of presumption hypothesis or concept"* के विरूद्ध है।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में याचिनी का यह कथन अत्यन्त सारवान है कि मूर्ति विखण्डन की घटना 26.07.2012 को घटित हुई थी

तथा उक्त घटना के संबंध में दो जॉचें प्रारम्भिक एवं पूरक जॉच क्रमशः दिनांक 04.08.2012 एवं 16.01.2013 को करायी गयीं, किन्तु उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी और अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 08.10.2020 को कारण बताओ नोटिस दी गयी जब कि कार्मिक प्रबंधन के शासनादेशों में विभागीय कार्यवाही संपादित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश तथा समय सीमा निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में पारित दण्डादेश दिनांक 11.11.2020 को अकारण अत्यन्त विलम्ब से पारित किया गया है।

9– विपक्षीगण द्वारा अपने लिखित विवेचन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *"National Fertilizer Ltd. and Another Vs. P.K. Khanna [(2005) SCC (L&S) 1006],* में दी गयी विधि व्यवस्था का आश्रय लिया गया है किन्तु उक्त विधि व्यवस्था विभागीय कार्यवाही में अत्याधिक विलम्ब को मर्सित नहीं करती है।'' विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने *"State of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. of Home Civil Secrt. Lucknow And Another Versus Vijay Pratap Singh {WRIT-A NO.-4484 of 2022}* में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त आदेश/निर्णय भी अत्याधिक विलम्ब के संबंध में नहीं है। विपक्षी के विद्धान अधिवक्ता ने *State of Andhra Pradesh & Ors. v. S. Sree Rama Rao {AIR 1963 SC 1723}* मे पारित निर्णय का भी उल्लेख किया, किन्तु ध्यानपूर्वक इस निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है यह आदेश साक्ष्यों की विश्वसनीयता एवं पर्याप्तता का उल्लेख करता है। समय सीमा के बारे में अत्यधिक विलम्ब के मर्षण का उल्लेख नहीं करता।

10– दण्डादेश में याचिनी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की कोई भी समीक्षा नहीं की गयी है मात्र कारण बताओ नोटिस को ही दण्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जब कि पुलिस महानिदेशक का परिपत्र संख्या–29 दिनांक 14.09.2022 यह प्रावधानित करता है कि दण्डादेश पारित करते समय अपचारी कार्मिक के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की पूर्ण विवेचना एव समीक्षा की जानी

चाहिए। सरसरी तौर पर मात्र यह उल्लेख कर देना की स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है ''अनुचित है''

11– मुखरित व सकारण आदेश के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज ;एल0एण्डएस0, 679 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है–ः

> *"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "*

12– कारण" और "निष्कर्ष" के विभेद को स्पष्ट करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने युनियन आफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर, (1973),2 एससीसी 836 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

> *"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."*

13– इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय ने जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 ;2, एस0सी0सी, 947 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है–ः

> *''that the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned.''*

14- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा जे0अशोका बनाम कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी (2017) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 609 के प्रस्तर 24 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है-:

> *"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject-matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached. Only in this way can opinions or directions recorded be shown to be manifestly just and reasonable."*

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में याचिनी के विरूद्ध पारित अलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 11-11-2020 को विधि सम्मत नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में चूॅंकि यह विधिक स्थिति है कि जब प्रारम्भिक कार्यवाही/आदेश ही विधि सम्मत नहीं है तब उसके पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही/आदेश भी विधि सम्मत नहीं माने जायेंगे अर्थात *"If the foundation is week, the superstructure collapses."*

उपरोक्त विवेचना के आधार पर याचिनी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनॉंकित 11-11-2020 एवं एतद्पश्चात् पारित अपीलीय आदेश दिनॉंकित 16-04-2024 स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याचिनी की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 11-11-2020 (संलग्नक सं0-1), अपीलीय आदेश दिनॉंकित 16-04-2024 (संलग्नक सं0-2) अपास्त किये जाते हैं। याचिनी समस्त पारिणामिक सेवा लाभ पाने का अधिकारी है जो इन आदेशों व्दारा रोके गये हों। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय का अनुपालन निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/-(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/–(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

एच0के0आर0/पी0एस0
दिनॉकः 21 अगस्त, 2026